न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा राज0

बईजलास श्री राजेश डागा (आर.ए.एस0)

दावा मु.नं. 77/20 जी.सी.एम.एस. 2020/00077

1. श्रीमती योगिता पुत्री बृजमोहन पत्नी भगवतीप्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम पालाहेडा तहसील कनवास जिला कोटा हाल निवास कस्बा सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा।
2. श्रीतमती मधुकान्ता पुत्री बृजमोहन पत्नी हरिओम जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम पालाहेडा तहसील कनवास जिला कोटा हाल निवासी स्टेशन रोड शिव कॉलोनी , अन्ता तहसील अन्ता जिला बांरा।

–वादीगण–

बनाम

1. योगेश पुत्र श्री बृजमोहन जाति ब्राहम्ण निवासी पालाहेडा तहसील कनवास जिला कोटा हाल निवासी मकान नबंर 503 गणेश नगर कोटा।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा राज0।

– प्रतिवादी–

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट.

उपस्थित –

वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री महेश कुमार तिवारी।
प्रतिवादी 01 के विरूद्व एक तरफाफ
प्रतिवादी 02 राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास।

निर्णय

दिनांक– 10/3/2021

वादी द्वारा जर्ये एडवोकेट वाद अन्तर्गत धारा 88.89 आर.टी.एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बालूहेडा पटवार हल्का बालूहेडा तहसील कनवास जिला कोटा के खसरा नबंर 95 की रकबा 0.01 है0, खसरा नबंर 96 की रकबा 1.89 है0, कुल खसरा किता 02 की रकबा 1.90 है0, आराजीयात कालान्तरण में वादीगण व प्रतिवादी नबंर 01 के पिता बृजमोहन पुत्र श्रवणलाल जाति ब्राहमण निवासी पालाहेडा तहसील कनवास के खाते की रही है, उक्त आराजीयात को वाद पत्र में आगे सुविधा की दृष्टि से वादग्रस्त आराजीयात से सम्बोन्धित किया गया है।

यह कि वादीगण व प्रतिवादी नबंर 01 के पिता श्री बृजमोहन की आज से करीब 23–24 वर्ष पूर्व मृत्यु के बाद वादग्रस्त आराजीयात फौती इन्तकाल अवैध रूप से वादनी नबरं 01 योगिता के ग्रामीण परिवेश में बोलते नाम ममता, वादनी नबंर 02 के बोलते नाम विम[illegible] की माता कैलाशबाई व भाई प्रतिवादी नबंर 01 के नाम तस्दीक कर दि[illegible] उक्त वादनी नबंर 02 नाबालिग होने से उपनाम विमला के संरक्ष[illegible] का नाम अंकित कर [illegible] से

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2021.08.17 12:58:52 IST
Reason: SelfAttested

Page no 1

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

वादग्रस्त आराजीयात वादनी नबंर 01 योगिता के उपनाम ममता एवं वादनी नबंर 02 के उपनाम विमला , प्रतिवादी नबंर 01 योगेश व वादीगण प्रतिवादी नबंर 01 की माता कैलाशबाई के नाम से संयुक्त खाते में दर्ज चली आ रही है।

यह कि वादीगण का विद्यालय में शिक्षा अध्ययन के लिये प्रवेश भी वादीगण के पिता स्व0 बृजमोहन जी ने कराया था, जिसमें उन्होने वादनी नबरं 01 का नाम योगिता दर्ज करवाया था, यही नाम आज दिन तक आधार कार्ड, स्कूल के रिकार्ड, व अन्य सरकारी दस्तावेजात में चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजीयात के अलावा वादनी का उपनाम ममता किसी भी रिकार्ड में दर्ज नहीं है। इसी प्रकार वादनी नबंर 02 मधूकान्ता का नाम बृजमोहन ने विद्यालय में प्रवेश के वक्त मधूकानता दर्ज करवाया था जो स्कूल रिकार्ड, आधार कार्ड, व अन्य सरकारी दस्तावेजात में चला आ रहा है, वादनी नबंर 02 का नाम विमला किसी भी रिकार्ड में वादग्रस्त आराजी के अलावा अन्यत्र दर्ज नहीं है।

यह कि वादग्रस्त आराजीयात में वादीगण के पिता की मृत्यु के बाद वादनी नबंर 01 का वास्तविक नाम योगिता के स्थान पर ममता तथा वादनी नबंर 02 का वास्तविक नाम मधूकान्ता के स्थान पर विमला दर्ज होने व अन्य सरकारी दस्तावेजात में वास्तविक नाम योगिता एवं मधुकान्ता ही दर्ज होने से भ्रम कि स्थिति बनी है, सरकारी दस्तावेजात एवं वादग्रस्त आराजीयात में वादीगण का नाम भिन्न–भिन्न होने से वादीगण सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकती । वादीगण एवं प्रतिवादी नबंर 01 की माता श्रीमती कैलाशबाई का आज से 11 माह पूर्व दिनांक 19.11.2019 को देहान्त हो चुका है, जिसके वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी नबंर 01 होने से उनके हिस्से की आराजीयात के हकदार भी संयुक्त रूप से वादीगण व प्रतिवादी नबंर 01 होने से वादीगण व प्रतिवादी नबंर 01 प्रत्येक 1/3 हिस्से के सहखातेदार है। तथा वादनी नबंर 02 बालिग हो चुकी है।

वादनी द्वारा पुनः वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वाद पत्र की मद नबंर 01 में वर्णित ग्राम बालूहेडा पटवार हल्का बालूहेडा तहसील कनवास के खसरा नबंर 95 की 0.01 है0, खसरा नबंर 1.89 है0, आराजीयात में वादनी नबंर 01 का नाम ममता के स्थान पर योगिता व वादनी नबंर 02 का नाम विमला के स्थान पर मधूकान्ता दर्ज किया जावे व सहखातेदार केलाशबाई का नाम डिलीट कर वादीगण व प्रतिवादी नबंर 01 प्रत्येक 1/3 हिस्से के सहखातेदार होने की तथा वादनी नबंर 02 के उपनाम विमला को दुरूस्त कर वास्तविक नाम मधूकान्ता अंकित करते हुये बालिग दर्ज किये जाने की घोषणा की डिक्री पारित की जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलवी जारी की गई, प्रतिवादी क्रम 01 की तामील प्राप्त होने व बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से प्रतिवादी नबंर 01 के विरूद्ध दिनांक 13.01.2021 को एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास द्वारा दिनांक 24.02.2021 को प्राप्त हुआ। तहसीलदार कनवास द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण ग्राम बालूहेडा की आराजी खसरा नबंर 95 की रकबा 0.01 है0, खसरा नबंर 96

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2021.08.17 12:58:52 IST
Reason: SelfAttested

Page no 2

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

रकबा 1.89 है0, कुल किता 02 की रकबा 1.90 है0, भूमि ममता, विमला पुत्रियां बृजमोहन जाति ब्राहम्ण के संयुक्त खाते दर्ज रिकार्ड है। वादीगण ममता के स्थान पर योगिता और विमला के स्थान पर मधुकान्ता दर्ज करवाना चाहते हैं। वादीगण का नाम ग्राम पचायंत का प्रमाण–पत्र, विद्यालय प्रमाण –पत्र, आधार कार्ड, माध्यमिक शिक्षा की अंकतालिका में योगिता तथा मुधकान्ता दर्ज है। अतः राजस्व रिकार्ड में ममता का नाम योगिता उर्फ ममता तथा विमला का नाम मधुकान्ता उर्फ विमला दर्ज किये जाने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं हैं, साथ ही मृत्यु प्रमाण के आधार पर कैलाश बाई की मृत्यु हो चूकी हैं अतः कैलाश बाई के स्थान पर विधिक वारिसान का नाम दर्ज करने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। इससे राजहित प्रभावित नहीं होता है।

हमारे द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों, संलग्न दस्तावेजों व जवाब सरकार का अवलोकन किया गया, अवलोकन पश्चात हम इस निष्कर्श पर पहुंचते हैं कि ग्राम बालूहेडा पटवार हल्का बालूहेडा तहसील कनवास के खसरा नबंर 95 की 0.01 है0, खसरा नबंर 1.89 है0, आराजीयात में वादनी नबंर 01 का नाम ममता के स्थान पर योगिता उर्फ ममता व वादनी नबंर 02 का नाम विमला के स्थान पर मधूकान्ता उर्फ विमला बालिग व सहखातेदार केलाशबाई का नाम डिलीट कर वादीगण व प्रतिवादी नबंर 01 प्रत्येक 1/3 हिस्से के सहखातेदार दर्ज किये जाना न्यायोचित समझते हैं।

आदेश

अतः वादी का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है ग्राम बालूहेडा पटवार हल्का बालूहेडा तहसील कनवास के खसरा नबंर 95 की 0.01 है0, खसरा नबंर 1.89 है0, आराजीयात में वादनी नबंर 01 का नाम ममता के स्थान पर योगिता उर्फ ममता व वादनी नबंर 02 का नाम विमला के स्थान पर मधूकान्ता उर्फ विमला बालिग दर्ज किया जावे तथा सहखातेदार केलाशबाई का नाम डिलीट कर वादीगण व प्रतिवादी नबंर 01 प्रत्येक 1/3 हिस्से के सहखातेदार दर्ज किया जावे। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 10/3/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा

राजेश डागा (आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी कनवास

जिला कोटा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2021.08.17 12:58:52 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास मुकाम कनवास

न्यायालय व इजलास राजेश डागा **R.A.S.** उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (राज.)

दावा मु.नं. 77/20 जी.सी.एम.एस. 2020/00077

1. श्रीमती योगिता पुत्री बृजमोहन पत्नी भगवतीप्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम पालाहेडा तहसील कनवास जिला कोटा हाल निवास कस्बा सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा।
2. श्रीतमती मधुकान्ता पुत्री बृजमोहन पत्नी हरिओम जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम पालाहेडा तहसील कनवास जिला कोटा हाल निवासी स्टेशन रोड शिव कॉलोनी , अन्ता तहसील अन्ता जिला बांरा।

–वादीगण–

बनाम

1. योगेश पुत्र श्री बृजमोहन जाति ब्राहम्ण निवासी पालाहेडा तहसील कनवास जिला कोटा हाल निवासी मकान नबंर 503 गणेश नगर कोटा।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा राज0।

– प्रतिवादी–

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट.

उपस्थित –

वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री महेश कुमार तिवारी।

प्रतिवादी 01 के विरूद्व एक तरफा

प्रतिवादी 02 राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास।

मुकदमा नं. 77/20 तारीख फैसला 10/3/21 **न्यायालय व इजलास राजेश डागा उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा** यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू **उपखण्ड अधिकारी कनवास** वहाजरी एडवोकेट **श्री महेश तिवारी** मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी **राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास** स्वयं मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है अंतिम डिक्री जारी की जाती है कि ग्राम बालूहेडा पटवार हल्का बालूहेडा तहसील कनवास के खसरा नबंर 95 की 0.01 है0, खसरा नबंर 1.89 है0, आराजीयात में वादनी नबंर 01 का नाम ममता के स्थान पर योगिता उर्फ ममता व वादनी नबंर 02 का नाम विमला के स्थान पर मधूकान्ता उर्फ विमला बालिग दर्ज किया जावे तथा सहखातेदार केलाशबाई का नाम डिलीट कर वादीगण व प्रतिवादी नबंर 01 प्रत्येक 1/3 हिस्से के सहखातेदार दर्ज किया जावे। नीज ... X ...मुबलिग .... X ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ...फीसदी सालाना आज की ता... X ... अदा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2021.08.17 12:58:52 IST
Reason: SelfAttested

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदा... तारीख ...19... माह 3...7...2021 जारी की गई।

मोहर ....

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

Page no 4

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा .... स्टाम्प वकालतनामा .... स्टाम्प वजह सबूत .... महनताना वकील .... खर्चा गवाहान .... फीस कमिश्नर .... बाबत इजराय हुकमनामा .... मुतफर्रिक .... मीजान	---NIL---		स्टाम्प वकालतनामा .... स्टाम्प अर्जी .... महनताना वकील .... खर्चा गवाहान .... फीस कमिश्नर .... बाबत इजराय हुकमनामा .... मुतफर्रिक .... मीजान	---NIL---	

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)
राजेश डागा (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी कनवास

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2021.08.17 12:58:52 IST
Reason: SelfAttested